



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092024-257473
CG-DL-E-25092024-257473

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2024/आश्विन 2, 1946

No. 258]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2024/ASVINA 2, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2024

मामला संख्या: एडीडी (एसएसआर)-27/2023

विषय: चीन जन. गण. से एनिलिन के आयात के संबंध में सूर्यास्त समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. फ.सं. 7/10/2024-डीजीटीआर - समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, मूल्यांकन और पाटित की गई वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क का संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद "नियम" या "एंटी-डंपिंग नियम" के रूप में भी संदर्भित), गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (इसके बाद "आवेदक" के रूप में संदर्भित) ने चीन जन. गण. (इसके बाद "विषय देश" के रूप में संदर्भित) में उत्पन्न या उससे निर्यातित अनिलिन (इसके बाद "विषय माल" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में संदर्भित) के आयात पर पाटन रोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करने के लिए नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले प्रतिसंहत न किया गया हो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकरण से यह समीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकरण को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करनी होती है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. पिछली जांच की पृष्ठभूमि

3. चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयात की मूल एंटी-डंपिंग जांच 24 जनवरी 2020 को प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई थी। आवेदक के अनुरोध और पूरी तरह से प्रारंभिक जांच के बाद, प्राधिकरण ने अधिसूचना संख्या 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 12 जून 2021 के माध्यम से अनंतिम पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। इसके बाद, वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 20/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29 जुलाई 2020 के तहत अनंतिम शुल्क लगाया।
4. विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विचाराधीन देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची है। नतीजतन, अंतिम निष्कर्ष संख्या 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 20 जनवरी 2021 के माध्यम से, नामित प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि की और 5 साल की अवधि के लिए उपायों को लागू करने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 08/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 19 फरवरी 2021 के माध्यम से शुल्क लगाया।
5. तत्पश्चात्, प्रयोक्ता उद्योग के अनुरोध पर यह जांच करने के लिए एक मध्यावधि समीक्षा शुरू की गई थी कि क्या चीन जन. गण. में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क लगाना जारी रखने की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने दिनांक 11 दिसंबर 2023 के एफ संख्या 7/25/2022 -डीजीटीआर के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि पाटन रोधी शुल्क लगाने की निरंतर आवश्यकता थी। वर्तमान उपाय 28 जुलाई 2025 तक लागू हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित के रूप में ही है जो इस प्रकार है:
- वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए विचाराधीन उत्पाद "एनिलिन" है जिसे "एनिलिन तेल" के रूप में भी जाना जाता है। अनिलिन एक पारदर्शी, तैलीय तरल है और एक प्राथमिक अमाइन यौगिक है। ताजा आसुत होने पर इसका रंग हल्के पीले-पीले तरल में बदल जाता है। प्रकाश या हवा के संपर्क में आने पर इसका रंग गहरा हो जाता है। अनिलिन एक बुनियादी कार्बनिक रसायन है, जो दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, रंजक और डाई मध्यवर्ती जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए आवश्यक है।*
7. वर्तमान आवेदन एक सूर्यास्त समीक्षा जांच होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में परिभाषित किया गया है।

8. विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ कोड 2921 41 10 के तहत अध्याय शीर्षक 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। उत्पाद का कारोबार वजन के आधार पर किया जाता है और माप की निर्धारित इकाई एमटी है।

ग. समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबंधित देश से निर्यात किए गए उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबंधित देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और माल के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमय के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क के निरंतर अधिरोपण के लिए अल्पकालीन समीक्षा जांच के लिए है। प्राधिकरण द्वारा मूल जांच में भी इस तरह के अनुच्छेद के मुद्दे की जांच पहले ही की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद विचाराधीन देश से उत्पादित और आयातित उत्पाद की वस्तु के समान होता है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

10. यह आवेदन गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। एक अन्य निर्माता है - आरके सिंथेसिस लिमिटेड, जिसने आवेदन का समर्थन किया है। आवेदक ने कहा है कि उसने संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक या निर्यातक से संबंधित नहीं है। कुल भारतीय उत्पादन में आवेदकों के उत्पादन का बड़ा हिस्सा होता है।

11. इसे देखते हुए, तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियम 2(बी) के अर्थ में घरेलू उद्योग है तथा आवेदन 'घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से' किया गया है। इसके अलावा, आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करता है, भले ही नियम 5(3) की आवश्यकताएं सनसेट समीक्षा आवेदन में लागू नहीं होती हैं।

ङ. विषय देश

12. वर्तमान जांच में विषय देश चीन जन. गण. है।

च. सामान्य मूल्य

चीन जन. गण.

13. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि संबंधित वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाजार अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के अनुच्छेद 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

14. इसलिए, इस जांच की शुरुआत के उद्देश्य से, सामान्य मूल्य का निर्माण आवेदक के उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर किया गया है, जो उचित लाभ मार्जिन के साथ-साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित है।

छ. निर्यात मूल्य

15. विषय देशों से संबंधित वस्तुओं के निर्यात मूल्य का अनुमान प्रणाली महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए लेन-देन-वार आयात आंकड़ों पर विचार करके लगाया गया है। तत्पश्चात् प्राधिकरण ने निवल निर्यात मूल्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समायोजन किए हैं।

ज. वर्तमान पाटन और पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना फैक्टरी स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबंधित देश से आयातित विषय वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

झ. क्षति और पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना

17. क्षति अवधि के दौरान विषयगत देश से आयात की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। आवेदक की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। आवेदक ने क्षति की संभावना को स्थापित करने के लिए आधार के रूप में विषयगत देश में क्षमता विस्तार, तीसरे देश की डंपिंग और तीसरे देश से होने वाले क्षतिकारक निर्यात के बारे में भी जानकारी प्रदान की है। आयात की मात्रा और कीमत तथा क्षति अवधि के दौरान आवेदक का प्रदर्शन दर्शाता है कि आवेदक पाटित किए गए आयातों के कारण क्षति के प्रति संवेदनशील है। आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना प्रथम दृष्टया संबंधित देश से पाटन की पुनरावृत्ति और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है। तथापि, पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की जांच करने के लिए प्राधिकरण जांच के लिए आवेदक घरेलू उद्योग तथा अन्य इच्छुक पाटियों से पीओआई पश्चात डाटा मांग सकता है।
18. आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना प्रथम दृष्टया संबंधित देश से पाटन की पुनरावृत्ति और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है। तथापि, पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की जांच करने के लिए प्राधिकरण जांच के लिए आवेदक घरेलू उद्योग तथा अन्य इच्छुक पार्टियों से पीओआई पश्चात डाटा मांग सकता है।

ञ. सूर्यास्त समीक्षा जांच की शुरुआत

19. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर पाटन और क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना को प्रमाणित करते हुए, और नियमों के नियम 23 (1 बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 ए (5) के अनुसार, प्राधिकरण एतद्वारा लागू कर्तव्यों के निरंतर अधिरोपण की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करता है (ग) सरकार ने संबंधित देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के संबंध में अधिसूचना जारी की है और इस बात की जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है, इस संबंध में कोई सूचना प्रदान की जाती है।

ट. जांच की अवधि (पीओआई)

20. वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक है। जांच के लिए क्षति अवधि में 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ठ. प्रक्रिया

21. सूर्यास्त समीक्षा जांच में दिनांक 20 जनवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 6/42/2019-डीजीटीआर के माध्यम से प्रकाशित मूल अंतिम निष्कर्षों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें विषयगत देश में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले विषयगत वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है, और दिनांक 11 दिसंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या 7/25/2022-डीजीटीआर के माध्यम से प्रकाशित मध्यावधि समीक्षा अंतिम निष्कर्ष शामिल होंगे।
22. नियमों के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

ड. जानकारी प्रस्तुत करना

23. सभी संचार ईमेल पते dir11-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ dd16-dgtr@gov.in किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबमिशन का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में है और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हैं।
24. संबंधित देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को संबंधित वस्तुओं और घरेलू उद्योग से संबंधित होने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज करने में सक्षम हो सकें।
25. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी जांच से संबंधित अपने प्रस्तुतीकरण निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके से नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।
26. प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
27. इच्छुक पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in/> पर नियमित रूप से नजर रखें।

ढ. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से प्राधिकरण को भेजी जानी चाहिए dir11-dgtr@gov.in और नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ dd16-dgtr@gov.in की जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियमों के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए आमंत्रण करने वाले नोटिस को प्राधिकरण द्वारा भेजे जाने या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त माना जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकरण नियमों के अनुसार अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।
29. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

ण. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय आधार पर कोई गोपनीय निवेदन करने या सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्ष को नियमों के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार नोटिसों के अनुसार उसी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियों को अस्वीकार किया जा सकता है।
31. प्रश्नावली के प्रत्युत्तर सहित प्राधिकरण के समक्ष कोई भी प्रस्तुतीकरण (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और गैर-गोपनीय विवरण अलग-अलग फाइल करने की आवश्यकता होती है।
32. "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" सबमिशन को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकरण द्वारा गैर-गोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पार्टियों को इस तरह के सबमिशन का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
33. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी जो प्रकृति से गोपनीय हैं और/या अन्य जानकारी जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जो प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
34. गैर-गोपनीय संस्करण को गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त है (यदि अनुक्रमण संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर सारांशित किया जाता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के पदार्थ की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और नियमों के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण, और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस, इस तरह के संक्षेपण क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
35. इच्छुक पार्टियां इस अधिसूचना के अनुच्छेद 28 के संदर्भ में दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकती हैं।
36. पाटन रोधी शुल्क नियम, 1995 के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना या उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या गोपनीयता के दावे पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
37. प्राधिकरण प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकता है।

त. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

38. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें। सबमिशन/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पार्टी को गैर-सहकारी माना जा सकता है।

थ. असहयोग

39. ऐसे मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इनकार करता है या अन्यथा सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, या समीक्षा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकरण अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है, जो वह उचित समझे।

दर्पण जैन ,निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
DEPARTMENT OF COMMERCE
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2024

Case No. – ADD (SSR) 03/2024

Subject: Initiation of sunset review investigation concerning imports of Aniline from China PR.

- F. No. 7/10/2024 - DGTR** - Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") for initiation of the sunset review investigation of antidumping duty on the imports of Aniline (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as "subject country").
- In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request **made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.**
- A. Background of previous investigation**
- The original anti-dumping investigation into imports of product under consideration from China was initiated by the Authority on 24th January 2020. Following a request by the applicant and a thorough preliminary examination, the Authority, through Notification No. 6/42/2019-DGTR, dated 12th June

2021, recommended imposition of provisional anti-dumping duty. Subsequently, the Ministry of Finance imposed provisional duties vide Customs Notification No. 20/2020-Customs (ADD) dated 29th July 2020.

4. After an elaborate investigation, the Authority concluded that the imports of the product under consideration from the subject country had caused injury to the domestic industry. Consequently, through final findings No. 6/42/2019-DGTR, dated 20th January 2021, the Designated Authority confirmed the preliminary finding and recommended imposition of measures for a period of 5 years. The Ministry of Finance imposed duties vide Notification No. 08/2021-Customs (ADD), dated 19th February 2021.
5. Thereafter a mid-term review was initiated on the request of the user industry to examine whether there is a need for continued imposition of anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from China PR. The Authority vide F. No. 7/25/2022 -DGTR dated 11th December 2023 concluded that there was a continued need for imposition of anti-dumping duty. The present measures are in force till 28th July 2025.

B. Product under consideration (PUC)

6. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation which is as follows:

The product under consideration for the purpose of present investigation is "Aniline" which is also known as "Aniline Oil". Aniline is a transparent, oily liquid and is a primary amine compound. Its colour transforms to light pale-yellow liquid when freshly distilled. Its colour darkens when exposed to light or air. Aniline is a basic organic chemical, essential for vital industries such as drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates.

7. The present application being a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as defined in the original final finding notification.
8. The product under consideration is classified under the Chapter Heading 29 under the tariff code 2921 41 10. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration. The product is traded on weight basis and the prescribed unit of measurement is MT.

C. Like article

9. The applicant has claimed that there is no significant difference in the product produced by it and the one exported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. Further, the present application is for sunset review investigation for the continued imposition of antidumping duty. The issue of like article has already been examined by the Authority in the original investigation as well. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from subject country.

D. Domestic industry and standing

10. The application has been filed by Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited. There is another producer - R. K. Synthesis Limited, the supporter of application. The applicant has stated that it has not imported the product under consideration from the subject country and is not related to any producer or exporter of the product under consideration from the subject country. The production of applicant constitutes major share in the total Indian production.

11. In view of the same, and based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry'. Further, the application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3), even though the requirements of Rule 5(3) are not applicable in sunset review application,

E. Subject country

12. The subject country in the present investigation is China PR.

F. Normal value

China PR

13. The applicant has submitted that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
14. Therefore, for the purpose of initiation of this investigation, the normal value has been constructed based on the estimates of the cost of production of the applicant duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

G. Export price

15. The export price of the subject goods from the subject country has been estimated by considering transaction-wise import data provided by Directorate General of Systems. The Authority has, thereafter, made necessary adjustments to arrive at the net export price.

H. Current dumping and dumping margin.

16. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level with respect to the subject goods imported from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

I. Injury and likelihood of recurrence of dumping and injury.

17. The volume of imports from the subject country has increased over the injury period in absolute as well as relative terms. The market share of the applicant has declined. The applicant has also provided information on capacity expansion in the subject country, third country dumping and third country injurious exports as the basis to establish the likelihood of injury. The volume and price of imports and the performance of the applicant over the injury period shows that the applicant is vulnerable to injury due to the dumped imports.
18. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows recurrence of dumping from the subject country and the likelihood of injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duties. However, in order to examine the likelihood of injury to the domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duties, the authority may seek post POI data from applicant domestic industry and the other interested parties for examination.

J. Initiation of sunset review investigation

19. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

K. Period of investigation (POI)

20. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2024. The injury period for the investigation will cover the periods 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.

L. Procedure

21. The sunset review investigation will cover all aspects of the original final findings published vide Notification No. 6/42/2019-DGTR dated 20th January, 2021 recommending the imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject country, and of mid term review final findings published vide Notification No. 7/25/2022-DGTR dated 11th December, 2023.
22. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

M. Submission of information

23. All the communication should be sent to the Designated Authority via email at email address dir11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
24. The known producers/ exporters in the subject country, the government of the subject country through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
25. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time-limit set out below.
26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
27. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

N. Time limit

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses dir11-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in, within thirty days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the

exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

O. Submission on information on confidential basis

30. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/ submissions.
31. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
32. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/ or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the receipt of the non-confidential version of the documents in terms of para 28 of this notification.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Anti-Dumping Duty Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

P. Inspection of public file

38. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate nonconfidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

Q. Non-cooperation

39. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the review investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority